न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक / वि.अ. / 10 / 17 / भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री योगेश कुमार विजयवर्गीय सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी हाल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा दिनांक 20 / 21–10–2016

उपस्थितः– श्री योगेश कुमार विजयवर्गीय सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी हाल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 22.6.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20 / 21–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 22.06.2016 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

यह है कि पंचायत समिति कोटी में हुई अनुपयोगी सामग्री निलामी में हुई अनियमितता की जांच में निलामी प्रक्रिया दोषपूर्ण पाई गई, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 24–8–2016 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी

कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 20/21–10–2016 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को इस मामले में दोषी मानकर उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। इस दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/21–10–2016 विधिविरूद्ध पारित किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक 4850 दिनांक 27–9–2017 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि श्री योगेश विजयवगईय पर लगाये गये आरोप जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार उत्तरदायी होने से लगाया गया है जो सही है। अपचारी कर्मचारी कैशियर के पद पर कार्यकर रहे थे उक्त निलामी प्रक्रिया में बोली दाताओं से बयाना राशि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में अंकित सामग्री के मूल्य की 2 प्रतिशत प्राप्त की जानी चाहिए थी जो न्यूनतम 500/– रूपयें व अधिकतम 50,000/– रूपये होनी चाहिए थी जबकि श्री विजयवर्गीय द्वारा 400/– रूपये जमा किये गये है। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री कन्हैयालाल जाट मण्डल अध्यक्ष कोटड़ी द्वारा की गई जिसके आधार पर ही जांच की गई। उक्त शिकायत में पाया गया कि नाकारा सामानों के निस्तारण हेतु बनाई गई कमेटी में श्री विजयवर्गीय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नाकारा सामानों के निस्तारण में कमेटी द्वारा सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियम 17,18,21,22,23,24 की पालना नहीं करने के लिए सम्पूर्ण कमेटी को जिम्मेदार माना गया है। मंत्रालयिक कार्मिक होने के नाते कमेटी के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श कर नियमानुसार नाकारा सामानों के निस्तारण की कार्यवाही को सम्पादन कराने में सहयोग हेतु ही श्री विजयवर्गीय को विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी द्वारा नियुक्त किया गया था।

अपचारी कर्मचारी ने बहस के दौरान कथन किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का पक्ष पूर्ण रूप से सुना भी नहीं गया तथा समझा भी नहीं गया। जिन नियमों की अवहेलना का आरोप अपीलार्थी पर लगाकर दण्डित किया गया है उनमें से एक भी नियम की पालना का उत्तरदायित्व अपीलार्थी का नहीं बनता है। अपीलार्थी द्वारा कैशियर के रूप में कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन पूर्ण रूपेण नियमानुसार किया गया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि नियम 17 के तहत अप्रचलित व अनुपयोगी स्टोर का रजिस्टर S.R.–5 का प्रारूप तैयार करने का दायित्व स्टोर कीपर का होता है तथा नियम 18 के तहत निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु समिति गठित करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व कार्यालय अध्यक्ष का होता है। इसी की पालना में तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा कमेटी का गठन किया गया लेकिन मुझे नियमों से परे जाकर कमेटी का सदस्य बनाया गया और मैनें इस प्रक्रिया में उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना की है। नियम 22 के तहत निलामी कमेटी का गठन किया जाना अंतिम रूप से कार्यालय अध्यक्ष के अधिकार क्षैत्र में आता है। मैंने इस संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की पाना की है। नियम एवं उप नियमों के अनुसार प्रक्रिया सम्पादित कराने का दायित्व अन्य कार्मिकों का होने से मुझें उक्त आरोप से मुक्त कराया जावे।

अपीलर्थी ने यह भी कथन किया कि नियम 23 के अन्तर्गत प्रारू‍प एस. आर–7 में विक्रय लेखा तैयार कर हमारे समक्ष किसी के भी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया तथा मेरे मंत्रालयिक कार्मिक होने से मुझे इस प्रारूप एवं इससे संबंधित नियमों के विषय में जानकारी भी नहीं है। नियम 24 के तहत नियमानुसार बयाना राशि से 100/– रूपये कम जमा किया जाने के संबंध में जानकारी दी कि कार्यालय आदेश क्रमांक 3024/01–05–2015 के अनुसार धरोहर राशि 400/– जमा करने के निर्देश कैशियर को प्रदान किये गये थे। अतः कैशियर के पद के दायित्वों के अधीन प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही मैंने 400/– रूपयें जमा किये थे। निलामी प्रक्रिया के पश्चात संबंधित सामग्री को स्टॉक पंजीका में से कम किये जाने का उत्तरदायित्व तत्कालीन स्टोर कीपर का ही था। मैंने कैशियर का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए रसीद संख्या 39/172/15–05–2015 से 24100/– रूपयें नकद जमा किये।

अपचारी कर्मचारी ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रक्रिया में अन्य कमेटी के सदस्य तत्कालीन विकास अधिकारी श्री हरिराम एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री कमल किशोर शर्मा को माननीय शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 1633 दिनांक 4–7–2017 एवं 1562 दिनांक 27–6–2017 से प्रकरण को समाप्त किया जा चुका है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना में मैंने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है तथा प्रक्रिया के तहत खामियों को दूर करने का तथा लेखा नियमों की पालना करने व करवाने का दायित्व सक्षम उच्चाधिकारियों का एवं लेखा प्रभारी का होने से मुझ पर लगाये गये आरोप से मुक्त किया जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकानी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट की सुनवाई की

मात्र पूर्ति कर दण्डादेश पारित कर अपचारी कर्मचारी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया है। अपीलांट के विरूद्ध लगाया गया आरोप किसी भी स्तर पर उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप से आरोपित कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुपयोगी सामग्री की निलामी प्रक्रिया में कार्यालय स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर निलामी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं कर दण्डादेश पारित किया है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह कथन किया गया कि कार्यालय आदेश क्रमांक 3024/01–05–2015 के अनुसार धरोहर राशि 400/– जमा करने के निर्देश कैशियर को प्रदान किये गये थे। अतः कैशियर के पद के दायित्वों के अधीन प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही अपचारी कर्मचारी द्वारा 400/– रूपयें जमा किये थे। निलामी प्रक्रिया के पश्चात संबंधित सामग्री को स्टॉक पंजीका में से कम किये जाने का उत्तरदायित्व तत्कालीन स्टोर कीपर का ही था। अपचारी कर्मचारी कैशियर का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए रसीद संख्या 39/172/15–05–2015 से 24100/– रूपयें नकद जमा किये। अपचारी कर्मचारी के मंत्रालयिक कार्मिक होने से प्रक्रियागत कमियों यथा S.R.–5, 6, 7 के विषय में लेखा नियमों की समय पर पालना करवाने का दायित्व लेखा कार्मिक का होता है। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है तथा प्रक्रियागत खामियों को दूर करने तथा लेखा नियमों की पालना करने व करवाने का दायित्व उच्च अधिकारियों का एवं लेखा प्रभारी का होने से अपचारी कर्मचारी को आरोप से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कर्मचारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त प्रक्रिया में अन्य कमेटी के सदस्य तत्कालीन विकास अधिकारी श्री हरिराम एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री कमल किशोर शर्मा को शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 1633 दिनांक 4–7–2017 एवं 1562 दिनांक 27–6–2017 से प्रकरण को समाप्त किया जा चुका है तो उक्त प्रकरण में अपचारी कार्मिक को दण्डादेश देने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा कैशियर के तौर पर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है जिसमें अपचारी कर्मचारी की कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। निलामी प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय लेखा नियमों की पालना नहीं किये जाने संबंधी आरोप पूर्ण रूप से साबित नहीं होने से अपचारी कर्मचारी श्री योगेश विजयवर्गीय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 20/21–10–2016 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी कर्मचारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक जिपभी/स्थापना/जांच/2016/4979–4982 दिनांक 20/21–10–2016 निरस्त योग्य एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर